उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

(समाज कल्याण शाखा)

अति अल्पकालीन पुर्न निविदा

वित्तीय वर्ष 2016–17 में अन्यक्षेत्रीय उपयोजना तथा अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत उपयोजनान्तर्गत रामगढ़ जिला के दिब्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम यंत्र/उपकरण मुहैया कराने हेतु निम्न प्रकार के यंत्र/उपकरण क्रय हेतु अधिकृत आपूर्पिकर्त्ताओं से निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदादाता मुहरबंद लिफाफे में निविदा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़ के कार्यालय में दिनांक 15.12.2016 को 01:00 बजे अपराहन तक जमा करेंगे। दिनांक 15.12.2016 को 03:00 बजे अपराहन अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में गठित जिला क्रय समिति की बैठक में निविदा खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

क्र0	विशेष यंत्र/ उपकरण का नाम	क्र0	विशेष यंत्र/उपकरण का नाम
1	ट्राई साइकिल (व्यस्क)	13	एच0के0एफ0ओ0 (वयस्क)
2	ट्राई साइकिल (बच्चा)	14	एच0के0एफ0ओ0 (मध्यम)
3	व्हील चेयर (व्यस्क)	15	सर्जिकल शू – (वयस्क)
4	व्हील चेयर (मध्यम)	16	वैसाखी– (वयस्क)
5	व्हील चेयर (छोटा)	17	वैसाखी– (मध्यम)
6	ब्लांइड स्टिक	18	वैसाखी– (छोटा)
7	श्रवण यंत्र भी कोड	19	बिलो नी प्रोस्थेसिस
8	श्रवण यंत्र एस कोड	20	एबभ नी प्रोस्थेसिस
9	वकिंग स्टिक	21	बिलो एलबो प्रोस्थेसिस
10	के.एफ.ओ.कैलिर्पस व्यस्क	22	एबभ एलबो प्रोस्थेसिस
11	के.एफ.ओ. कैलिर्पस मध्यम	23	स्पाइन सर्पोट
12	के.एफ.ओ. कैलिर्पस छोटा		

उपरोक्त निविदा की सूचना Ramgarh.nic.in में उपलब्ध है।

7/12/16

उपायुक्त,
रामगढ़।

निविदा की शर्ते :–

(क) तकनीकी बीड :–

1. निविदादाता को निविदा के साथ अग्रधन के रूप में 30,000/– (तीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़ के पदनाम से संलग्न करना होगा।

2. निविदादाता को वाण्ज्यि कर विभाग द्वारा निर्गत स्वच्छता प्रमार्ण पत्र संलग्न करना होगा।

3. निविदादाता को अपना पेन कार्ड की छायाप्रति एवं आयकर का अद्यतन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

4. निविदादाता को यह शपथ पत्र देना होगा कि उनका प्रनिष्ठान काली सूची में दर्ज नहीं है तथा हर प्रकार के आरोप एवं जांच से मुक्त है।

(ख) वित्तीय बीडः–

1. निविदादाता द्वारा एक सामग्री के लिए एक ही दर निविदित किया जायेगा।

2. निविदित दर में ही सभी प्रकार के परिवहन/हथालन ब्यय तथा कर सम्मिलित होगें।

(ग) अन्य शर्ते :–

1. निविदादाता को तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा दो अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में जमा करना होगा। तकनीकी निविदा में सफल उम्मीदवारों का ही वित्तीय निविदा स्वीकार किया जायेगा।
2. निविदा खुलने के समय निविदादाता को क्रय समिति के समक्ष प्रत्येक उपकरण/यंत्र का नमूना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना नमूना के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. सामग्रियों की आपूर्ति स्वीकृत नमूने के अनुरूप जिले के बाल विकास परियोजना कार्यालयों में आपूर्ति आदेश निर्गत करने के 10 दिनों के अन्दर करना होगा, जिसके लिए अलग से कोई परिवहन एवं हथालन व्यय देय नही होगा। निर्धारित समय सीमा के अन्दर सामग्रियों की आपूर्ति नहीं करने पर आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध नियमसंगत कार्रवाई की जायेगी।
4. सामग्री आई0एस0आई0 द्वारा मानक प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए।
5. आपूर्तिकर्ता को किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
6. आपूर्ति किये जाने वाले समान का नमूना जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़ के कार्यालय में जमा करना होगा।
7. आपूर्ति की गयी सामानों की गुणवता उत्तम होनी चाहिए। यदि आपूर्ति की गई सामग्रियों में एक साल के अन्दर कोई खराबी आती है तो उसकी मरम्मती/बदलाव की सारी जवाबदेही आपूर्तिकर्त्ता की होगी जिसके लिए उन्हें अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
8. स्वीकृत/निविदित प्रतिष्ठान को जिला समाज कल्याण, पदाधिकारी, रामगढ़ के साथ एकारनामा करना होगा।
9. किसी भी निविदा को आंशिक एवं पूर्ण रूप से स्वीकार करने या रदद् करने का अधिकार क्रय समिति को सुरक्षित होगा। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

07/12/16

उपायुक्त,
रामगढ़।